न्यायालय– एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा।

उपस्थितिः–*अम्बिका प्रसाद चौधरी*
अपर सत्र न्यायाधीश–XI
सारण, छपरा।
ए0बी0पी0 सं0 2672/2026
आदेश की तिथिः–14.07.2026.

.....

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 2672 / 2026
भेल्दी थाना कांड सं0–77 / 2026

अनुज कुमार बनाम् बिहार राज्य

14.07.2026 आवेदक अभियुक्त **अनुज कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2672/2026, भेल्दी थाना कांड संख्या 77/2026, अंतर्गत धारा 352, 351(2), 3(5) भा0न्या0सं0 एवं धारा–67 सूचना प्राद्यौगिकी अधिनियम में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मदनजीत कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

मामले की प्राथमिकी सूचिका आशा कुमारी द्वारा थाना में दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर संस्थित है जिसमें कहा गया है कि विगत तीन माह से अनुज कुमार जो Instagram & Facebook गंदी–गंदी फोटो बनाकर स्टोरी लगाता है और सूचिका और उसके परिवार के लोगों पर कॉल कर गंदी–गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी देता है। सूचिका की शादी अप्रैल 30.04.2026 को है लेकिन अब फोटो–विडियो वायरल करने के कारण शादी टूट गयी।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्राथमिकी आशा कुमारी के बयान पर दर्ज हुआ है। जमानत आवेदन के पैरा–03 में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई केस आपराधिक इतिहास के रूप में दर्ज नहीं है। आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा दुश्मनी के कारण उसको इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने किसी भी प्रकार का गंदी फोटो तथा विडियो को Instagram & Facebook पर वायरल नहीं किया है। अतः प्रार्थना किया गया कि आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध विशिष्ट एवं प्रत्यक्ष आरोप हैं। प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप है। ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी भेल्दी थाना कांड संख्या 77/2026, अंतर्गत धारा 352, 351(2), 3(5)

न्यायालय– एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा।

उपस्थितिः–*अम्बिका प्रसाद चौधरी*
अपर सत्र न्यायाधीश–XI
सारण, छपरा।
ए0बी0पी0 सं0 2672/2026
आदेश की तिथिः–14.07.2026.

.....

भा0न्या0सं0 एवं धारा–67 सूचना प्राद्यौगिकी अधिनियम में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के पैरा–07 में वादिनी का पुनःबयान अंकित है तथा पैरा–08 तथा 09 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसमें इनलोगों ने घ ाटना का समर्थन किया है। पैरा–10 में वायरल फोटो का पेन ड्राईव में संग्रहित कर उसकी जप्ती सूची उल्लेखित है। पैरा–16 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय मढ़ौरा–1 का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त है जिसमें घटना को सत्य बताया है। पैरा–34 में आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान जारी है।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्राथमिकी में वर्णित आरोपों तथा दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के उपरांत प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवेदक के विरूद्ध विशिष्ट एवं गंभीर आरोप लगाये गये हैं कि उसने सूचक की आपत्तिजनक फोटो/विडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई तथा उसे धमकी दी, जिसके कारण उसका विवाह भी प्रभावित हुआ है। आरोपों की प्रकृति गंभीर है। अनुसंधान अभी प्रारंभिक अवस्था में है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त **अनुज कुमार** द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

AMBIKA
PRASAD
CHOUDHARY

Digitally signed by
AMBIKA PRASAD
CHOUDHARY
Date: 2026.07.14
17:53:54 +0530